

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 371 / 14-1(13881/2015) अलीगढ़: दिनांक: जुलाई, 05/08/2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

Proposal for diversion of 0.0768 ha of forest land for construction of approach road to retail outlet located on Aligarh-Ramghat Road (MDR-105) km. Ch. 15.150 at Khasra No. 1470, village Ukhlaana, Tehsil Kol, District Aligarh, Uttar Pradesh (Proposal No: FP/UP/Others/13881/2015)-regarding.

संदर्भ:-

1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली का पत्रांक-8B/UP/06/34/2018 दिनांक 22.05.2025.

2-आपका पत्रांक- 3471/11-सी, दिनांक 27.05.2025

3-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ का पत्रांक-4205/Petrolpump/13881/2015 दिनांक 16.06.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रेषित अनुपालन आख्या में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के उक्त संदर्भित पत्र से संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जो कि निम्न प्रकार प्रेषित है।

S.No.	Observation	Compliance
1.	In this Context, it is all informed that as per calculation sheet submitted by Division Director, Social Forestry Division, Aligarh, calculation of NPV has been made at the rate of Rs.9,57,780/- (Class-III Open Forest) However, as per part-II on Parivesh, area proposed for diversion is classified as Eco Class-I for which the prescribed rate of NPV for open forest is Rs. 11,16,900/-Further, as per the calculation sheet, simple interest at the rate of 12% has been charged for a period of nine years. It is reiterated that, simple interest of 12 percent is applicable only if the demand notice is raised and same is not paid by user Agency. In view of the above, the State Government is requested to re-calculate the value of NPV and penal NPV and submit the payment details as per the revised calculation.	1- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में अलीगढ़-रामघाट रोड (एमडीआर-105) किमी० चैनैज-15.150, खसरा संख्या-1470 ग्राम उखलाना, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है। प्रस्ताव में कोई भी वृक्ष बाधक नहीं है एवं किसी भी वृक्ष का पातन प्रस्तावित नहीं है। इसके अतिरिक्त उ०प्र० में 09 कृषि जलवायु क्षेत्रों में से जनपद अलीगढ़ दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क जोन (South Western Semi Arid Zone) के अन्तर्गत आता है एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन (Tropical Dry Deciduous Forests) पाये जाते हैं। अतः प्रकरण Eco Class-III (Open Forest) से आच्छादित है एवं तदनुसार एन०पी०वी० की प्रस्तावित दरों के अनुसार एन०पी०वी० एवं दण्डात्मक एन०पी०वी० का भुगतान प्रयोक्ता एजेंसी से कराया गया है। प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन भाग-2 भरते समय त्रुटिवश Eco Class-I (Tropical Wet Evergreen Forests, Tropical Semi Evergreen Forests and Tropical Moist Deciduous Forests) अंकित हो गयी थी जबकि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत कोई भी Eco Class-I से आच्छादित वन स्थित नहीं है। जिसकी पुष्टि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2023 के बिन्दु सं०-10.27.3 (संलग्नक) एवं वन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट upforest.gov.in के About us/Overview (संलग्नक) से की जा सकती है। अतः Eco Class-I के

	अनुसार धनराशि की गणना किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। 2- प्रकरण में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना शीट में 12 प्रतिशत सामान्य व्याज का प्रावधान कर धनराशि जमा करायी गयी है। दिये गये निर्देशानुसार प्रेषित मांग पत्र के अनुसार यदि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा धनराशि जमा नहीं कराये जाने पर उक्त प्रावधान के अनुसार धनराशि प्राप्त की जाती है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना कि कैम्पा मद में धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात् धनराशि वापस करने का प्रावधान नहीं होता है। अतः प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रेषित इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र कि "प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी गयी दण्डात्मक एन0पी0वी0 की धनराशि से कोई आपत्ति नहीं है एवं भविष्य में किसी भी प्रकार से धनराशि की मांग कैम्पा से नहीं की जायेगी।" (संलग्नक)
--	---

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(भीम सेन)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 371 / 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105-06 ग्यारवां तल, सेक्टर-16, नोएडा-201309 (उ०प्र०) को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भीम सेन)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक

/Others/13881/2015 अलीगढ़: दिनांक: जून, 16, 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:-

Proposal for diversion of 0.0768 ha of forest land for construction of approach road to retail outlet located on Aligarh-Ramghat Road (MDR-105) km. Ch. 15.150 at Khasra No. 1470, village Ukhana, Tehsil Kol, District Aligarh, Uttar Pradesh (Proposal No: FP/UP/Others/13881/2015)-regarding.

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली का पत्रांक-8B/UP/06/34/2018 दिनांक 22.05.2025 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक-3471/11-सी दिनांक 27.05.2025 एवं आपका पत्रांक-3048/14-1 दिनांक 27.05.2025

महोदय,

उपराक्त विषयक के सम्बन्ध में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रेषित अनुपालन आख्या में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण संस्तुति सहित निम्न प्रकार किया जाता है-

Sr. No.	Observation	Compliance
1	In this context, it is all informed that as per calculation sheet submitted by Division Director, Social Forestry Division, Aligarh, calculation of NPV has been made at the rate of Rs. 9,57,780/- (Class-III Open Forest). However, as per Part-II on Parivesh, area proposed for diversion is classified as Eco Class-I for which the prescribed rate of NPV for open forest is Rs. 11,16,900/-. Further, as per the calculation sheet, simple interest at the rate of 12% has been charged for a period of nine years. It is reiterated that, simple interest of 12 percent is applicable only if the demand notice is raised and same is not paid by User Agency. In view of the above, the State Government is requested to re-calculate the value of NPV and Penal NPV and submit the payment details as per the revised calculation.	1-प्रकरण में अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एमडीआर-105) किमी चैनैज 15.150 खसरा संख्या-1470 ग्राम उखलाना, तहसील कोल, जनपद अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है। प्रस्ताव में कोई भी वृक्ष बाधक नहीं है एवं किसी भी वृक्ष का पातन प्रस्तावित नहीं है। इसके अतिरिक्त उ०प्र० में 09 कृषि जलवायु क्षेत्रों में से जनपद अलीगढ़ दक्षिण पश्चिम अर्द्ध शुष्क जोन (South Western Semi Arid Zone) के अन्तर्गत आता है एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन (Tropical Dry Deciduous Forests) पाये जाते हैं। अतः प्रकरण Eco Class-III (Open Forest) से आच्छादित है एवं तदनुसार एनपीवी की प्रस्तावित दरों के अनुसार एन०पी०वी एवं दण्डात्मक एनपीवी का भुगतान प्रयोक्ता एजेंसी से कराया गया है। प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन भाग-2 भरते समय त्रुटिवश Eco Class-I (Tropical Wet Evergreen Forests, Tropical Semi Evergreen Forests and Tropical Moist Deciduous Forests) अंकित हो गयी थी जबकि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत कोई भी Eco Class-I से आच्छादित वन स्थित नहीं है। जिसकी पुष्टि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2023 के बिन्दु सं० 10.27.3 (संलग्नक-1) एवं वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upforest.gov.in के About us/Overview (संलग्नक-2) से की जा सकती है। अतः Eco Class-I के अनुसार धनराशि की गणना किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

	2-प्रकरण में दण्डात्मक एनपीवी की गणना शीट में 12 प्रतिशत सामान्य ब्याज का प्रावधान कर धनराशि जमा करायी गयी है। जबकि आपके द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रेषित मांग पत्र के अनुसार यदि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा धनराशि जमा नहीं कराये जाने पर उक्त प्रावधान के अनुसार धनराशि प्राप्त की जाती है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कैम्पा मद में धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात् धनराशि वापस करने का प्रावधान नहीं होता है। अतः प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रेषित इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र कि "प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी गयी दण्डात्मक एनपीवी की धनराशि से कोई आपत्ति नहीं है एवं भविष्य में किसी भी प्रकार से धनराशि की मांग कैम्पा से नहीं की जायेगी।" (संलग्नक-2)
--	--

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नवीन प्रकाश शाक्य)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 4205 / दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
2. डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सर ऑयल लि०), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105-06 ग्यारवां तल, सेक्टर-16, नोएडा-201309 (उ०प्र०)।

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

10.27.3 Forest Types

The area under different Forest Types in Uttar Pradesh (as per the Champion & Seth Forest Classification, 1968) based on the Forest Cover Map (FCM), ISFR-2023, is presented in the following table.

Table 10.27.9 Area statistics of the Forest Types found in Uttar Pradesh

Sl. No.	Forest Type	Area	(km ²) % of the total mapped area*
1	2/E1 Cane brakes		
2	3C/C2d (i) Western light alluvium plains sal	20.01	0.13
3	3C/C2d (iii) Eastern heavy alluvium plains sal	1,540.00	9.76
4	3C/C3a West Gangetic moist mixed deciduous forest	650.62	4.12
5	3C/C3/2S1 Northern Secondary moist mixed deciduous forest	408.46	2.59
6	4D/SS2 <i>Barringtonia</i> swamp forest	345.16	2.19
7	4D/SS3 <i>Syzygium cumini</i> swamp low forest	0.34	0.00
8	5A/C1b Dry teak forest	205.84	1.30
9	5B/C1a Dry Siwalik sal forest	143.81	0.91
10	5B/C1b Dry plains sal forest	110.53	0.70
11	5B/C1c Dry peninsular sal forest	60.88	0.39
12	5B/C2 Northern dry mixed deciduous forest	352.88	2.24
13	5/DS1 Dry deciduous scrub	5,459.24	34.58
14	5/DS2 Dry savannah forest	329.83	2.09
15	5/DS3 <i>Euphorbia</i> scrub	0.65	0.00
16	5/E1 <i>Anogeissus pendula</i> forest	0.87	0.01
17	5/E1/DS1 <i>Anogeissus pendula</i> scrub	491.69	3.11
18	5/E2 <i>Boswellia</i> forest	205.24	1.30
19	5/E3 <i>Babul</i> forest	104.78	0.66
20	5/E5 <i>Butea</i> forest	48.65	0.31
21	5/E8a <i>Phoenix</i> savannah	6.77	0.04
22	5/E8b <i>Babul</i> savannah	1.91	0.01
23	5/E9 Dry bamboo brakes	17.42	0.11
24	5/1S1 Dry tropical riverain forest	69.14	0.44
25	5/1S2 <i>Khair-sissu</i> forest	0.24	0.00
26	6B/C2 Ravine thorn forest	148.43	0.94
	Sub Total	904.89	5.73
		11,628.28	73.66
27	TOF/ Plantation	4,057.03	25.70
	Total (Forest Cover & Scrub)	15,685.31	99.36
28	3/1S1 Low alluvial savannah woodland (<i>Salimalia-Albizzia</i>)	5.06	0.03
29	4D/2S2 Eastern wet alluvial grassland	96.31	0.61
	Sub Total	101.37	0.64
	Grand Total	15,786.68	100.00

*Forest Types have been assigned to the natural forest formations under forest cover and scrub categories shown in the forest cover mapping (ISFR, 2023). Grassland forest types outside forest cover have also been mapped. The total mapped area, therefore, is sum of forest cover, scrub and grassland forest types (found in non-forest).



(default.aspx)

igshid=MjEwN2lyYWYwYw==) [f](https://www.facebook.com/upforest.gov.in/?ref=hl) (https://www.facebook.com/upforest.gov.in/?ref=hl) [You Tube](https://www.youtube.com/channel/UCSwkuRkn-krZV7St-xf9ckA) (https://www.youtube.com/channel/UCSwkuRkn-krZV7St-xf9ckA) [Twitter](#)

S Nodal Officer (ContactDetails.aspx)

Gallery/Cubecell2_new.Pdf)



Overview

[Home \(./ForestNew/Default.aspx\)](#) / [About Us](#) / [Overview](#)

Uttar Pradesh largely consist of fertile Gangetic plains in the Northern part of the country. The major rivers flowing through the State are the Ganga, the Yamuna, the Ramganga, the Gomti and the Ghaghra. The terai and bhabhar area in the Gangetic Plain have most of the forests while the Vindhyan forests consists mostly of scrub.

The existing flora in Uttar Pradesh can be classified into three categories-

1. Wet tropical deciduous forests.
2. Dry tropical deciduous forests.
3. Tropical thorny forests.

On the Shivalik foothills and in the terai-bhabhar area grow the sal and gigantic haldu. Along river courses the shisham grows in abundance. The Vindhyan forests have dhak, teak, mahua, salai, chironji and tendu. Shesham is mostly used for furniture while khair yields kattha, which is taken with betel leaves or pan. Semal and gutel are used as matchwood and kanju in the plywood industry. Babul provides the principal tanning material of the state. Some of the grasses such as baib and bamboo are raw material for the paper industry. Tendu leaves are used in making bidis (Indian cigarettes), and cane is used in baskets and furniture. Species of grasses have been collected from the Gangetic plain. Herbs include medicinal plants like Rauwolfia serpentina, Viala serpens, podophyllum, hexandrum and Epecra gerardiana.

Corresponding to its variegated topography and climate, the state has a wealth of animal life. Its avifauna is among the richest in the country. Animals that can be found here include the tiger, leopard, wild boar, sloth bear, chital, sambhar, blackbuck, barking deer, hog deer, swamp deer, jackal, hyena, porcupine, jungle cat, hare, squirrel, monitor lizards, fox etc.

Other animals in the state include reptiles such as lizards, cobras, kraits, and gharials. Among the wide variety of fishes, the most common ones are mahaseer and trout. Certain species are found in special habitats. The elephant is confined to the terai and the foothills. The chinkara and the sandgrouse prefer a dry climate, and are native to the Vindhyan forests. Rhinoceros rehabilitation program is on in the terai forest of Dudhwa. Crocodile & Gharial have also started growing in numbers because of different conservation initiatives taken by the Wildlife department of Uttar Pradesh. The most common birds include the crow, pigeon, dove, jungle fowl, black partridge, house sparrow, peafowl, blue jay, parakeet, kite, snipes, comb ducks, mynah, quail, bulbul, kingfisher and woodpecker. Besides large numbers of migratory birds visit different bird areas of the state. On 9 August 2019, 220 million trees were planted in Uttar Pradesh with the vision of increasing green area, conserving forest area and its animals. Planting was carried out in 1,430,381 places, including 60,000 villages and 83,000 sites in forest ranges.

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

विषय:-

Proposal for diversion of 0.0768 ha of forest land for construction of approach road to retail outlet located on Aligarh-Ramghat Road (MDR-105) km. Ch. 15.150 at Khasra No. 1470, village Ukhlana, Tehsil Kol, District Aligarh, Uttar Pradesh (Proposal No: FP/UP/Others/13881/2015)-regarding.

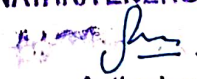
संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली का पत्रांक-8B/UP/06/34/2018 दिनांक 22.05.2025 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक-3471/11-सी दिनांक 27.05.2025

महोदय,

उपराक्त विषयक के सम्बन्ध में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रेषित अनुपालन आख्या में दण्डात्मक एनपीवी की गणना में 12 प्रतिशत सामान्य ब्याज का प्रावधान किये जाने एवं तदानुसार धनराशि जमा कराये जाने बावत लगायी गयीं आपत्तियों के क्रम में अनुरोध करना है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-02 के अनुपालन में जमा दण्डात्मक एनपीवी की धनराशि से पूर्णतः सन्तुष्ट हैं एवं प्रयोक्ता द्वारा जमा की गयी धनराशि पर किसी भी प्रकार से कोई प्रतिवेदन भविष्य में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। अतः प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा शर्त संख्या-02 के अनुपालन में जमा की गयी धनराशि को स्वीकार कराने हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें, ताकि प्रकरण शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित हो सके।

For NAYARA ^{भारतीय} ENERGY LIMITED



Authorised Signatory
नायरा एनर्जी लि.
(पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

22/05/25

File No: 8B/UP/06/34/2018
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bag Road, Aligarh,
New Delhi - 110003

To

Dated: As per e-sign

5388

The Principal Secretary (Forests),
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.

CF (MODAL)

Sub: Proposal for diversion of 0.0768 ha of forest land for construction of approach road to retail outlet located on Aligarh-Ramghat Road (MDR-105) km. Ch. 15.150 at Khasra No. 1470, village Ukhilana, Tehsil Kol, District Aligarh, Uttar Pradesh (Proposal No: FP/UP/Others/13881/2015)-regarding..

Sir,

I am directed to refer to the Government of Uttar Pradesh's letter No. 3058/ 11-C-FP/UP/Others/13881/2015 dated 25.04.2025 on the above mentioned subject and to state that the proposal has been examined in the Ministry. In this context, it is informed that as per calculation sheet submitted by Division Director, Social Forestry Division, Aligarh, calculation of NPV has been made at the rate of Rs.9,57,780/- (Class III, Open forest). However, as per Part-II on Parivesh, area proposed for diversion is classified as Eco Class-I for which the prescribed rate of NPV for open forest is Rs.11,16,900/-. Further, as per the calculation sheet, simple interest at the rate of 12% has been charged for a period of nine years. It is reiterated that, simple interest of 12 percent is applicable only if the demand notice is raised and same is not paid by User Agency.

In view of the above, the State Government is requested to re-calculate the value of NPV and Penal NPV and submit the payment details as per the revised calculation.

Digitally signed by,
Deepika Chaudhary
Date: 22-05-2025
16:22:38
(Deepika Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The PCCF (HoFF), Department of Forest, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. The DDGF (Central), Regional Office, Lucknow.

3. The Nodal Officer (FCA), Department of Forest, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
4. User Agency.
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF&CC, New Delhi for uploading on PARIVESH portal.

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-3471/11सी- FP/UP/Others/13881/2015, दिनांक, लखनऊ मई 27 2025

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के पत्र के क्रम में बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख संस्तुति सहित ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि० ए-5, से०-3, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 3048/14-1, अलीगढ़, दिनांक, मई: 27, 2025.

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार पत्र में उल्लिखित विवरण के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अभिप्रेत

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 2715 / 14-1(13881/2015) अलीगढ़: दिनांक: अप्रैल, 24, 2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

Proposal for diversion of 0.0768 ha of forest land for construction of approach road to retail outlet located on Aligarh-Ramghat Road (MDR-105) km. Ch. 15.150 at Khasra No. 1470, village Ukhilana, Tehsil Kol, District Aligarh, Uttar Pradesh (Proposal No: FP/UP/Others/13881/2015)-regarding.

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली का पत्रांक-8B/UP/06/34/2018 दिनांक 16.10.2024 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ का पत्रांक-3294/Petrolpump/13881/2015 दिनांक 29.03.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 16.10.2024 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के उक्त संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त निर्धारित शर्तों की अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्न प्रकार प्रेषित है।

S.No.	Condition	Compliance
i.	The legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)
ii.	Five times penal NPV along with 12% simple interest from the date of raising of such demand shall be paid by the user agency	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग के पक्ष में उल्लंघन की तिथि से 05 गुना दण्डात्मक एन.पी.वी. हेतु वांछित धनराशि रु० 447228.00 (रु० चार लाख सैंतालिस हजार दो सौ अट्ठाईस मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2 एवं 3)
iii.	The matter regarding imposition of penal CA is under consideration for the formulation of a uniform policy guideline in the matter. Keeping this in view, the imposition of penal CA (if any) shall be as per the said guideline, if issued	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-4)
iv.	The Compensatory afforestation shall be raised by the State Forest Department as per approved scheme and as per the rules/guidelines on the matter at the cost of the user agency	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-5)
v.	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The CA scheme may include afforestation of	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के आधार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वनभूमि पर 154 पौधों के क्षतिपूरक

	indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years	वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वांछित धनराशि ₹0-336000.00 (तीन लाख छत्तीस हजार मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-3 एवं 6)
vi.	The State Government shall realize the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the guidelines given in Chapter – 3 of the Consolidated Guidelines and Clarification issued by the Ministry in accordance with the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 in the matter of T. N. Godavarman Thirumalpad vs. Union of India	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) हेतु वांछित धनराशि ₹0 73,557.00 (₹0 तिहत्तर हजार पाँच सौ सत्तावन मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-3 एवं 7)
vii.	The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-8)
viii.	Compensatory levies, to be realized from the User Agency, in lieu of diversion of forest land, shall be transferred/ deposited, through e-payment module (https://parivesh.nic.in/) of PARIVESH, into the concerned account of State/UT CAMPA, managed by the National Authority (CAMPA)	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-9)
ix.	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the slopes.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-10)
x.	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-11)
xi.	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-I compliance report.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-12)
xii.	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-13)
xiii.	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural 8B/UP/06/34/2018 I/84759/2024 streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-14)
xiv.	The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-15)
xv.	The User Agency, if required, shall obtain the environment clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued under the Environmental (Protection) Act; 1986	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-16)

xvi.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-17)
xvii.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-18)
xviii.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-19)
xix.	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-20)
xx.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-21)
xxi.	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-22)
xxii.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-23)
xxiii.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-24)
xxiv.	The User Agency shall implement the R & R Plan, if applicable, as per the R & R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R & R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-25)
xxv.	The User Agency shall submit the annual self - compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-26)
xxvi.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-27)
xxvii.	The State Government, before issuing the final diversion order, shall ensure that the user agency has complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s), including compliance of Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for the time being in force, as applicable to the project	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-28)

xxviii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter dated 29.12.2023	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-29)
---------	--	--

संलग्नक-परिवेश पोर्टल पर अपलोड।

भवदीय

(भीम सेन)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 2715 / 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105-06 ग्यारवां तल, सेक्टर-16, नोएडा-201309 (उ०प्र०) को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भीम सेन)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 3294/Petrol Pump/13881/2015 अलीगढ़: दिनांक: मार्च, 29, 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:-

Proposal for diversion of 0.0768 ha of forest land for construction of approach road to retail outlet located on Aligarh-Ramghat Road (MDR-105) km. Ch. 15.150 at Khasra No. 1470, village Ukhana, Tehsil Kol, District Aligarh, Uttar Pradesh (Proposal No: FP/UP/Others/13881/2015)-regarding.

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली का पत्रांक-8B/UP/06/34/2018 दिनांक 16.10.2024 एवं प्रभागीय प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लि0, नोएडा का पत्रांक MTR/NAY/13881/1501/02 दिनांक 24.03.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बंध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि0 16.10.2024 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके क्रम में आपके संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त निर्धारित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

S.No.	Condition	Compliance
i.	The legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)
ii.	Five times penal NPV along with 12% simple interest from the date of raising of such demand shall be paid by the user agency	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग के पक्ष में उल्लंघन की तिथि से 05 गुना दण्डात्मक एन.पी.वी. हेतु वांछित धनराशि रु0 447228 (रु0 चार लाख सैंतालिस हजार दौं सौ अट्ठाइस मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2 एवं 3)
iii.	The matter regarding imposition of penal CA is under consideration for the formulation of a uniform policy guideline in the matter. Keeping this in view, the imposition of penal CA (if any) shall be as per the said guideline, if issued	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-4)
iv.	The Compensatory afforestation shall be raised by the State Forest Department as per approved scheme and as per the rules/guidelines on the matter at the cost of the user agency	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-5)
v.	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The CA scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 154 पौधों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वांछित धनराशि रु-336000/- (तीन लाख छत्तीस हजार मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-3 एवं 6)
vi.	The State Government shall realize the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the guidelines given in Chapter - 3 of the Consolidated Guidelines and Clarification issued by the Ministry in accordance with the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 in the matter of T. N. Godavarman Thirumalpad vs. Union of India	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु वांछित धनराशि रु0 73,557 (रु0 तेहत्तर हजार पाँच सौ सत्तावन मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-3 एवं 7)

vii.	The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-8)
viii.	Compensatory levies, to be realized from the User Agency, in lieu of diversion of forest land, shall be transferred/ deposited, through e-payment module (https://parivesh.nic.in/) of PARIVESH, into the concerned account of State/UT CAMPA, managed by the National Authority (CAMPA)	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-9)
ix.	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the slopes.	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-10)
x.	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-11)
xi.	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-I compliance report.	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-12)
xii.	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-13)
xiii.	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural 8B/UP/06/34/2018 I/84759/2024 streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-14)
xiv.	The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-15)
xv.	The User Agency, if required, shall obtain the environment clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued under the Environmental (Protection) Act, 1986	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-16)
xvi.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-17)
xvii.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-18)
xviii.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-19)
xix.	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-20)
xx.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-21)

	unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department	
xxi.	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-22)
xxii.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-23)
xxiii.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-24)
xxiv.	The User Agency shall implement the R & R Plan, if applicable, as per the R & R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R & R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-25)
xxv.	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-26)
xxvi.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-27)
xxvii.	The State Government, before issuing the final diversion order, shall ensure that the user agency has complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s), including compliance of Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for the time being in force, as applicable to the project	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-28)
xxviii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter dated 29.12.2023	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-29)

संलग्नक-परिवेश पोर्टल पर अपलोड।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सर ऑयल लि०), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105-06 ग्यारवां तल, सेक्टर-16, नोएडा-201309 (उ०प्र०)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक - MTR/NAY/13881/1501/02
सेवा में,

दिनांक- 24.03.2025

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ़।

विषय:- **Proposal for diversion of 0.0768 ha of forest land for construction of approach road to retail outlet located on Aligarh-Ramghat Road (MDR-105) km. Ch. 15.150 at Khasra No. 1470, village Ukhana, Tehsil Kol, District Aligarh, Uttar Pradesh (Proposal No: FP/UP/Others/13881/2015)-regarding.**

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली का पत्रांक-8B/UP/06/34/2018 दिनांक 16.10.2024 एवं आपका पत्रांक 2332/2015 दिनांक 31.01.2022

उपरोक्त विषयक के सम्बंध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि० 16.10.2024 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके क्रम में आपके संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त निर्धारित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

S.No.	Condition	Compliance
i.	The legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)
ii.	Five times penal NPV along with 12% simple interest from the date of raising of such demand shall be paid by the user agency	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग के पक्ष में उल्लंघन की तिथि से 05 गुना दण्डात्मक एन.पी.वी. हेतु वांछित धनराशि रु० 447228 (रु० चार लाख सैंतालिस हजार दौ सो अट्ठाइस मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2 एवं 3)
iii.	The matter regarding imposition of penal CA is under consideration for the formulation of a uniform policy guideline in the matter. Keeping this in view, the imposition of penal CA (if any) shall be as per the said guideline, if issued	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-4)
iv.	The Compensatory afforestation shall be raised by the State Forest Department as per approved scheme and as per the rules/guidelines on the matter at the cost of the user agency	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-5)
v.	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगने अवन्त वनभूमि पर 154 पौधों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु

	Department. The CA scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years	वांछित धनराशि रु-336000/- (तीन लाख छत्तीस हजार मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-3 एवं 6)
vi.	The State Government shall realize the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the guidelines given in Chapter – 3 of the Consolidated Guidelines and Clarification issued by the Ministry in accordance with the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 in the matter of T. N. Godavarman Thirumalpad vs. Union of India	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) हेतु वांछित धनराशि रु0 73,557 (रु० तेहत्तर हजार पाँच सौ सत्तावन मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-3 एवं 7)
vii.	The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-8)
viii.	Compensatory levies, to be realized from the User Agency, in lieu of diversion of forest land, shall be transferred/ deposited, through e-payment module (https://parivesh.nic.in/) of PARIVESH, into the concerned account of State/UT CAMPA, managed by the National Authority (CAMPA)	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-9)
ix.	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the slopes.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-10)
x.	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-11)
xi.	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-I compliance report.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-12)
xii.	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-13)

xiii.	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural 8B/UP/06/34/2018 I/84759/2024 streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-14)
xiv.	The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-15)
xv.	The User Agency, if required, shall obtain the environment clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued under the Environmental (Protection) Act; 1986	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-16)
xvi.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-17)
xvii.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-18)
xviii.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-19)
xix.	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-20)
xx.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-21)
xxi.	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-22)
xxii.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-23)
xxiii.	The forest land proposed to be diverted shall under	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-24)

	no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government	
xxiv.	The User Agency shall implement the R & R Plan, if applicable, as per the R & R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R & R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-25)
xxv.	The User Agency shall submit the annual self - compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-26)
xxvi.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-27)
xxvii.	The State Government, before issuing the final diversion order, shall ensure that the user agency has complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s), including compliance of Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for the time being in force, as applicable to the project	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-28)
xxviii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter dated 29.12.2023	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-29)

For NAYARA ENERGY LIMITED



Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

शर्त संख्या—i के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—i के अनुसार "Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित



प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़

शर्त संख्या-ii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-ii के अनुपालन में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना हेतु निर्गत गाइडलाइन के अनुसार गणना कर, वन विभाग के पक्ष में उल्लंघन की तिथि से 05 गुना दण्डात्मक एन.पी.वी. हेतु वांछित धनराशि रु० 447228 (रु० चार लाख सैंतालिस हजार दौ सो अट्ठाइस मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment History की छायाप्रति संलग्न है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE Paid (in Rs.)	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Others/13881/2015 (./Viewreport.aspx?pid=FP/UP/Others/13881/2015) Retail Outlet	OTHERS138812015372	19913881372	16 Oct 2024	CA: 336000/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 73557/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total : 856785/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by :16 Jan 2025 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :12 Mar 2025 Transaction Date : 27 Feb 2025	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/160120251210006435_FPUPOthers138812015_User_Fund_Demanded_3320X.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=OTHERS138812015372)

For NAYARA ENERGY LIMITED

Authorised Signatory

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



my GOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

Meity (HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)



BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

शर्त संख्या-iii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-iii के अनुसार " The matter regarding imposition of penal CA is under consideration for the formulation of a uniform policy guideline in the matter. Keeping this in view, the imposition of penal CA (if any) shall be as per the said guideline, if issued" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
NBE

शर्त संख्या-iv के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-iv के अनुसार " The Compensatory afforestation shall be raised by the State Forest Department as per approved scheme and as per the rules/guidelines on the matter at the cost of the user agency " के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़


शर्त संख्या-iv के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांगी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-iv के अनुसार " The Compensatory afforestation shall be raised by the State Forest Department as per approved scheme and as per the rules/guidelines on the matter at the cost of the user agency " के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़


शर्त संख्या-V के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-V के अनुपालन में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 154 पौधों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वांछित धनराशि रु-336000/- (तीन लाख छत्तीस हजार मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं **Online Payment Details** की छायाप्रति संलग्न है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़


शर्त संख्या-vi के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-vi के अनुपालन में वन विभाग के पक्ष में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) हेतु वांछित धनराशि रू० 73,557 (रू० तेहत्तर हजार पाँच सौ सत्तावन मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment History की छायाप्रति संलग्न है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
Nid

शर्त संख्या-vii के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-vii के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है कि "अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० की बढी हुयी दर की अतिरिक्त धनराशि जमा की जायेगी।"

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़


शर्त संख्या—viii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०—105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम—उखलाना के खसरा संख्या—1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—vii के अनुपालन में प्रत्यावित की जाने वाली भूमि के सापेक्ष प्रतिपूर्ति धनराशि परिवेश पोर्टल के e-payment module (<https://parivesh.nic.in/>) के माध्यम से राष्ट्रीय प्राधिकरण (CAMPA) द्वारा प्रबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश CAMPA का खाते में जमा की गयी है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक बानिकी प्रभाग, अलीगढ़
N

शर्त संख्या-ix के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-ix के अनुसार "Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the slopes" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित



प्रभागीब निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़

शर्त संख्या-X के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-X के अनुसार " The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़

शर्त संख्या—xi के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़—रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०—105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम—उखलाना के खसरा संख्या—1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—xi के अनुसार " The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-I compliance report" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित
N
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
X125

Comprehensive Soil Conservation Plan to be implemented at the project cost

Name of Project:

Diversion of 0.0768 Ha of PF land for access to Retail Outlet of M/S Nayara Energy Limited under Aligarh Forest Div. at Village-Ukhlana, Kh. No.- 1470 at Ch. 15.150 on LHS of Aligarh-Ramghat Road (MDR-105), Distt-Aligarh,

Proposal No.: FP/UP/Others/13881/2015

Entry Area approached to retail outlet:- 233.855 sq.mtr.

Separator island area:- 300.00 sq.mtr.

Exit area approached from retail outlet:- 233.855 sq.mtr.

Total Protected Area proposed for diversion:- 0.0768 ha.

Various Soil Conservation works will be conducted on the available land in the retail outlet and protected forest area like:-

- (i) Prevention of erosion of soil.
- (ii) Preservation and improvement of soil.
- (iii) Planting and preservation of trees, shrubs and grass on uncultivable land
- (iv) Improvement of water regime, including moisture conservation.
- (v) Any other works assigned to the soil conservation wing as directed by the State Forest Department for the betterment of soil.

For attaining above goals plantation will be done at the cost of user agency on shoulders of exit and exit part, on separator island and on the periphery of the retail outlet.

Site specific details:-

Plantation on entry area:- 10 saplings to be planted on entry area with the spacing of 1×1.5 m.

Plantation on exit area:- 10 saplings to be planted on entry area with the spacing of 1×1.5 m.

Plantation separator island:- 20 saplings to be planted on entry area with the spacing of 1×1.5 m.

Plantation on the inner boundary of fuel station:- 30 saplings to be planted on entry area with the spacing of 1×1.5 m.

Species to be planted:- Dwarf, Decorative and Medicinal plants to be raised on the approached road. Following species planned to be planted

1. Ashok (Ashok pendula)
2. Putranjiva (Putranjiva roxburghii)
3. Kaner
4. Green purple hedge to be developed
5. Miscellaneous decorative plants will be planted

Total number of plants to be planted:- 70

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक

पर्यावरण, वन्यजीव, वन्यजीव प्रभाग, अलीगढ़

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

शर्त संख्या—xii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़—रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०—105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम—उखलाना के खसरा संख्या—1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—xii के अनुसार "Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

प्रतिहस्ताक्षरित
N
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
Mh

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

शर्त संख्या-xiii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-xiii के अनुसार "The designing of culverts/bridges, if any, over the natural 8B/UP/06/34/2018 I/84759/2024 streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
Ksh

शर्त संख्या-xiv के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-xiv के अनुसार " The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़

शर्त संख्या—xv के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़—रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०—105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम—उखलाना के खसरा संख्या—1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—xv के अनुसार "The User Agency, if required, shall obtain the environment clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued under the Environmental (Protection) Act; 1986" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित
N
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
Kj

शर्त संख्या-xvi के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-xvi के अनुसार "No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित
↓
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
10/1

शर्त संख्या—xvii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़—रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०—105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम—उखलाना के खसरा संख्या—1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—xvii के अनुसार "The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़

शर्त संख्या-xviii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-xviii के अनुसार "The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़

शर्त संख्या-xix के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-xix के अनुसार "The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED

Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित
N
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
Vg

शर्त संख्या-XX के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-XX के अनुसार "The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़

शर्त संख्या-xxi के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-xxi के अनुसार "The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़

शर्त संख्या-xxii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-xxii के अनुसार "The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक, वानिकी प्रभाग, अलीगढ़

शर्त संख्या-xxiii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-xxiii के अनुसार "The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

शर्त संख्या-xxiv के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-xxiv के अनुसार "The User Agency shall implement the R & R Plan, if applicable, as per the R & R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R & R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित
N
प्रभागीय निदेशक
सांख्यिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़

शर्त संख्या-xxv के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-xxv के अनुसार "The User Agency shall submit the annual self - compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़

शर्त संख्या-xxvi के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-xxvi के अनुसार "Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़

शर्त संख्या-xxvii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-xxvii के अनुसार "The State Government, before issuing the final diversion order, shall ensure that the user agency has complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s), including compliance of Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for the time being in force, as applicable to the project" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय निदेशक

सामाजिक बानिकी प्रभाग, अलीगढ़

शर्त संख्या-xxviii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-xxviii के अनुसार "Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter dated 29.12.2023" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED


Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित
N
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़

To,
 Officer on Special Duty,
 Ad-hoc CAMPA.
 202 Trikoot I, Bhikaji Cama Place,
 New Delhi-110066

Please confirm the amount whether deposited in CAMPA or not through return Email of vermalalji68@gmail.com

Proforma

1	Name of the Regional office	Lucknow
2	State/Dist./Forest Division to which the proposal relates	Social Forestry Division, Aligarh
3	Name of the User Agency, nature of proposal	Nayara Energy Ltd. (Formely Essar Oil Limited)
4	Extent of forest area involved	0.0768 ha.
5	Whether original, or extension	Original
6	If extension of lease. pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	No
7	Date of 1 st Stage Clearance	16.10.2024
8	Extent of CAMPA charges, headwise viz:	
	(a) Compensatory Afforestation	Rs. 3,36,000.00 (Three lakh thirty six thousand only)
	(b) Additional CA	--
	(c) Penal CA	--
	(d) Catchment area treatment	--
	(e) Wildlife Management Plan	--
	(f) Additional Charges for diversion of area falling under notified/protected areas	--
	(g) Net Present Value	Rs. 73,557.00 (Seventy three thousand five hundred fifty seven only)
	(h) Any other charges/ Levies(pl Specify)	--
	Penal NPV	Rs. 4,47,228.00 (Four lakh forty seven thousand two hundred twenty eight only)
9	Details of Bank (Bank, Draft no., Date & Amount), headwise against items indicated in paragraph & above.	--
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	Amount has been deposited through e-payment portal UTR No. PUNBR52025022718985791 Date: 27.02.2025
11	Bank (corporation bank, lodhi Complex/ Union Bank of India, Sunder Nagar) in which deposited, with date of deposition	Union Bank of India, FCS Bangalore Date of Deposition- 27.02.2025
12	Any other remarks	--


 Division Director,
 Social Forestry Division, Aligarh
Feb